संख्याः 9/2016/296/तीस-1-2016-5(4)/2014

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 17 मार्च, 2016

विषयः पी0पी0पी0 मॉडल के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों के विकास के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-3/613/तीस-1-2014-5(4)/2014, दिनांक 16.07.2014 तथा शासनादेश संख्या-4/1001/तीस'-1-2014-5(4)/2014, दिनांक 25.10.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक 25.10.2014 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन बी0ई0सी0 की बैठक दिनांक 26.09.2014 में की गयी संस्तुति के अनुसार पी0पी0पी0 मॉडल पर आलमबाग बस स्टेशन लखनऊ के विकास हेतु मे0 शालीमार कारपोरेशन लि0 गोमतीनगर लखनऊ को चयनित किये जाने व उसके साथ एग्रीमेन्ट निष्पादित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- आलमबाग बस स्टेशन लखनऊ को पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित किये जाने हेतु चयनित संस्था मे0 शालीमार कारपोरेशन लि0 गोमतीनगर लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि चूंकि उक्त बस स्टेशन को विकसित किये जाने हेतु भूखण्ड के लगभग 1005.60 वर्ग मीटर के अग्रभाग में लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन का स्थाई निर्माण कार्य/प्रयोग निर्धारित है और भूखण्ड में 70 प्रतिशत से अधिक भू-भाग पर बस स्टेशन निर्मित करने के उपरान्त भी 200 बसों की पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अतः चयनित संस्था द्वारा 200 बसों की पार्किंग की व्यवस्था के स्थान पर 100 बसों की पार्किंग की व्यवस्था किये जाने तथा उपरोक्त भू-भाग को लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को दिये जाने के कारण अपफ्रन्ट प्रीमियम तथा एनुअल कन्सेशन फीस की धनराशि में अनुपातिक रूप से कमी किये जाने का अनुरोध किया गया।

4- चयनित संस्था मे0 शालीमार कारपोरेशन लि0 गोमतीनगर लखनऊ के उक्त अनुरोध के क्रम में बी0ई0सी0 ने अपनी बैठक दिनांक 26.10.2015 में विचार किया। प्रकरण में सम्यक विराचोपरान्त श्री

http://shasanadesh.up.nic.in

राज्यपाल बी0ई0सी0 की बैठक दिनांक 26.10.2015 में की गयी संस्तुति के अनुसार भूमि लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा भूखण्ड के 1005.60 वर्ग मीटर भूमि का उपयोग किये जाने व 200 बसों की पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध कराने में कठिनाई के कारण 200 बसों की पार्किंग की व्यवस्था के स्थान पर अब 100 बसों (50 ग्राउण्ड फ्लोर पर तथा 50 बेसमेन्ट में) की पार्किंग का प्राविधान किये जाने और लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा 1005.60 वर्ग मीटर भूमि का उपयोग किये जाने के दृष्टिगत चयनित संस्था/बिडर से निगम के पक्ष में देय अपफ्रन्ट प्रीमियम व एनुअल कन्सेशन फीस की धनराशि में अनुपातिक रूप से कमी किये जाने की सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते है।

5- अत: अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in